

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-143/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-896(2) दिनांक-30.05.2025 द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में अंकित डा० अमृता भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालन्दा के स्थान पर डा० अमृता भारती, सीनियर रेजीडेंट/ट्यूटर (पैथोलॉजी विभाग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना पढ़ा जाय।

2. स्वास्थ्य विभागीय आदेश संख्या-896(2) दिनांक-30.05.2025 के इस हद तक संशोधित समझा जाए।

3. शेष यथावत रहेगा।

अनुलग्नक-विभागीय आदेश संख्या-896(2)

दिनांक-30.05.2025

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-143/2024-1068[2] पटना, दिनांक 26/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० अमृता भारती, सीनियर रेजीडेंट/ट्यूटर (पैथोलॉजी विभाग), पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव